संख्याः 500 /औ0वि0–२०५ ख/2005

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून. दिनांकः 08 फरवरी, 2005

विषयः **पर्वतीय क्षेत्रों में निजी भवनों के निर्माण/मरम्मत आदि के लिए निर्माण सामग्री के निःशुल्क खदान/चुगान के लिए स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

औद्योगिक विकास विभाग द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश संख्याः 1031/औ0वि0/2001, दिनांकः 30 अप्रैल, 2001 एवं 3498/औ0वि0–22 ख/2001, दिनांकः 17 अक्टूबर, 2002 के क्रम में तथा शासनादेश संख्याः 3032/औ0वि0/2003, दिनांकः 08 मई, 2003 का अतिक्रमण करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को उनके निजी भवनों के निर्माण/मरम्मत आदि के लिये निर्माण सामग्री सरलता तथा सहजता से निःशुल्क उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपखनिज नीति–2001 में निम्नानुसार संशोधन जारी किये जाते हैं :–

1. पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामवासी अपने निजी भवन निर्माण एवं उनकी मरम्मत आदि के लिये आवश्यक अधिकतम 150 घन मीटर निर्माण सामग्री का खदान/चुगान निःशुल्क कर सकेंगे अर्थात इसके लिये उन्हें राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की परमिट फीस एवं रायल्टी आदि का कोई भुगतान नहीं करना होगा।
2. उक्त निर्माण सामग्री निर्माणकर्ता द्वारा उसकी सुविधा अनुसार किसी भी क्षेत्र से एकत्र की जा सकेगी।
3. खदान/चुगान प्रारम्भ करने से पूर्व ऐसे ग्रामवासियों को जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने के बजाय केवल अपनी ग्राम पंचायत के प्रधान को संलग्न प्रारूप में सूचित करना होगा।
4. ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा उपरोक्त सुविधा प्रदान किये जाने हेतु संशोधित खनिज नीति–2001 के शासनादेश संख्या 3498/औ0वि0–22 ख/2001, दिनांकः 17 अक्टूबर, 2002 के प्रस्तर–2.5 की बाध्यता नहीं होगी।

क्रमशः.....2

5. इस सम्बन्ध में उत्तरांचल उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अध्याय–6 नियम–52 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:500(1) /औ0वि0–2[illegible]ख/2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ, उत्तरांचल।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
5. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम/कुमांऊ मण्डल विकास निगम/उत्तरांचल वन विकास निगम।
6. निदेशक, पंचायती राज, उत्तरांचल।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
9. अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
10. निजी सचिव, मा0 औद्योगिक विकास मंत्री (मा0 मुख्यमंत्री जी), उत्तरांचल।
11. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, उत्तरांचल।
12. गोपन अनुभाग।
13. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

पर्वतीय क्षेत्रों में निजी भवनों के निर्माण/मरम्मत आदि के लिए निर्माण सामग्री के खदान/चुगान के लिए सूचना का प्रारूप।

सेवा में,

प्रधान,
ग्राम पंचायत.....,
तहसील.....,
जनपद.....।

विषय :– **निजी भवन के निर्माण/भवन मरम्मत हेतु निःशुल्क निर्माण सामग्री के खदान/चुगान के सम्बन्ध में सूचना।**

1. निर्माण कर्ता/ग्रामवासी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. निवास स्थान का पता :
4. उस स्थान का विवरण जहां निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाना है :
5. आवश्यक निर्माण सामग्री का विवरण एवं मात्रा :
6. उस क्षेत्र का विवरण जहां से निर्माण सामग्री का खदान/चुगान किया जायेगा :

दिनांक.....

ग्रामवासी के हस्ताक्षर

प्रधान, ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर

नोट :–
1. उक्त सूचना पत्र दो प्रतियों में दिया जायेगा जिनमें से एक प्रति हस्ताक्षरोपरान्त प्रधान द्वारा ग्रामवासी को लौटा दी जायेगी जिसे वह निर्माण सामग्री के खदान/चुगान के समय अपने पास रखेगा।
2. यह सूचना इसी प्रारूप में सादे कागज पर भी मान्य होगी।